न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **84/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सांवत सिंह राठौड़ नि0 बी–1/403, वैशाली अपार्टमेन्ट,हिरण मगरी सेक्टर–4 उदयपुर।
—अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 11/10/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के विरूद्व दिनांक 07.09.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 04/08/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 731417 प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04/08/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 15/09/2017 को पंजीबद्व किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने अपने पत्रांक/न्याय/ 2017/255 दिनांक 11.10.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के साथ अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्रांक/पंजीयन/17/628 दिनांक 29.08.2017 से तैयार कर दिनांक 06.09.2017 को जरिये डाक भिजवाई गई। उक्त पत्र एवं डाक की रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत डाक की रसीद से स्पष्ट है कि सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक दिनांक 06.09.2017 को भिजवाया जाना सिद्व होता है जो विलम्ब से प्रेषित की गई है परन्तु सूचना निःशुल्क अपीलार्थी को भिजवाए जाने से अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 04.08.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 628 दिनांक 29.08.2017 को तैयार की जाकर जरिये डाक से भिजवाए जाने हेतु तहसील के डाक जावक अनुभाग में दी गई परन्तु अपीलार्थी को दिनांक 06.09.2017 को सूचना प्रेषित की गई है वह विलम्ब से प्रेषित की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क प्रेषित कर दी जाने से अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 11/10/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा